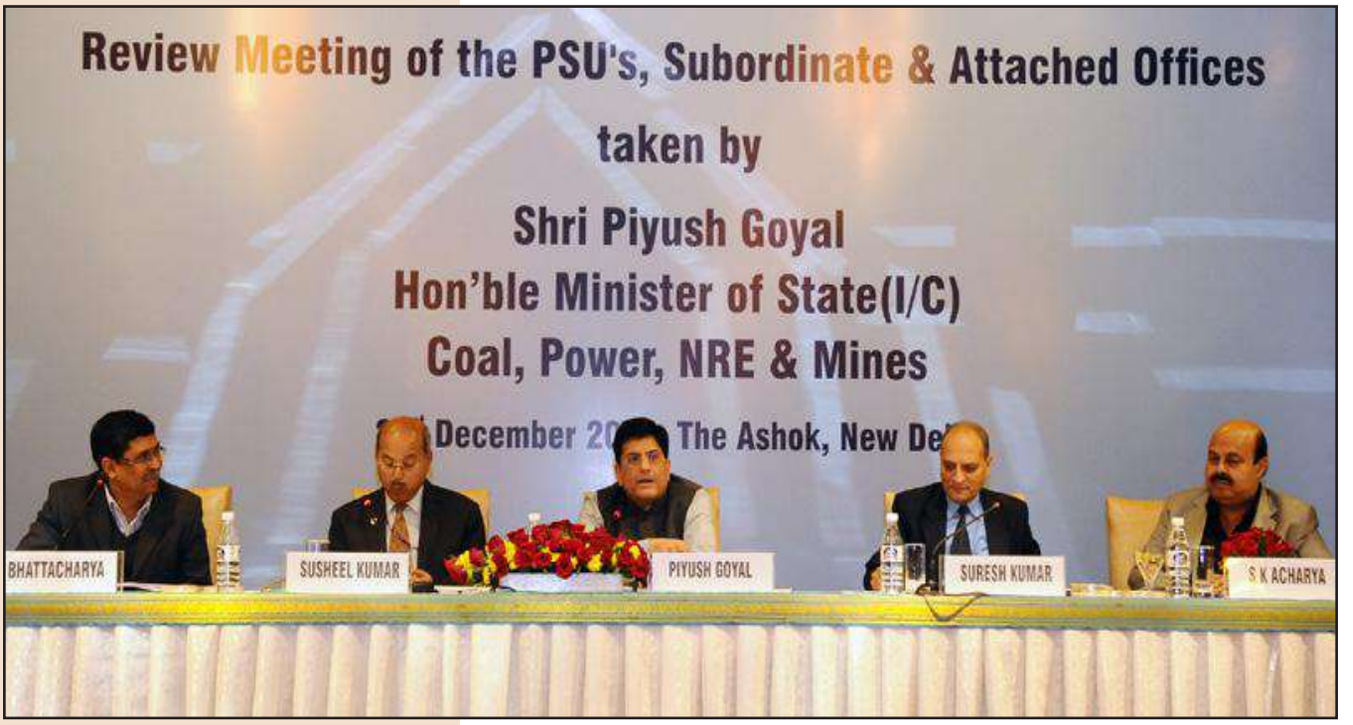

5

अध्याय

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाला कोयला खनन कार्पोरेट है, जिसकी स्थापना नवम्बर, 1957 में हुई। हालांकि अपने शुरूआती वर्ष में इसने 79 मिलियन टन का कम उत्पादन दर्ज किया परन्तु आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है।

कोल इंडिया लिए धारक कंपनी जिसका मुख्यालय कोलकाता में हैं, के प्रमुख एक अध्यक्ष है। उनकी सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) हैं। सीआईएल के प्रत्येक सहायक कंपनी का अपना निदेशक मंडल है जिसके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा, सात उत्पादन कंपनियों में प्रत्येक में 4 कार्यकारी निदेशक हैं। अन्य सहायक कंपनी सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) के निदेशक मंडल में चार कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

सीआईएल की रणनीतिक संबद्धता

- भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन करता है
- भारत में जहां लगभग 55% प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता कोयले पर निर्भर है वहां सीआईएल अकेले 40% प्रमुख वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता पूरी करता है।
- लगभग 74% भारतीय कोयला बाजार को नियंत्रित करता है।
- भारत के 101 में से 98 कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों की पूर्ति करता है।
- उपयोगिता क्षेत्र के कुल 76% थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के लिए जिम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को मूल्य के उतार–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- अन्त्य उपयोगकर्त्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता, आदि।

2015–16 में उपलब्धियां

- 2015–16 में पहली बार सीआईएल ने कोयला उत्पादन तथा आफटेक में आधा बिलियन टन के स्तर को पार किया है तथा आने वाले वर्षों में उच्च विकास के लिए मंच तैयार किया है।
- पहली बार 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों में कोयले का भंडार लगभग 39 मिलियन टन से अधिक है जो 28 दिनों के भंडार के लिए पर्याप्त है। सीआईएल के पास मार्च, 2016 के अंत तक लगभग 58 मि.ट. कोयला भंडार था।
- कोयले की उपलब्धता के बगैर कोई भी संयंत्र नाजुक अथवा अत्यंत नाजुक की स्थिति में नहीं था। कोयला आयात में गिरावट आई थी जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा में पर्याप्त बचत हुई।

- उन्नत ग्राहक अनुकूलता पर बल दिया गया था। 01 जनवरी, 2016 से (–) 100 एमएम आकार वाले कोयले का विद्युत (यू) को प्रेषण करने का अभियान प्रचालन में है।
- सीआईएमएफआर, एक स्वायत्तशासी सरकारी निकाय के पर्यवेक्षण के अंतर्गत जनवरी, 2016 से थर्ड पार्टी संयुक्त सैम्पलिंग शुरू की गई है।
- पहली बार सीआईएल का सकल विक्रय 100000.00 करोड़ रु. को पार किया है।

सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहलः

➢ जनशक्ति

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों की कुल जनशक्ति 313,829 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नलिखित है:

कंपनी	2015–16 (31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)	2016–17 (31.12.2016 की स्थिति के अनुसार)
ईसीएल	66917	64801
बीसीसीएल	54250	51860
सीसीएल	44274	42725
डब्ल्यूसीएल	49371	47791
एसईसीएल	65556	62255
एमसीएल	22541	22258
एनसीएल	16236	15578
एनईसी	1913	1743
सीएमपीडीआईएल	3665	3562
डीसीसी	444	391
सीआईएल (मुख्यालय)	865	865
कुल	326032	313829

➢ सीआईएल के लोगों का कार्य–निष्पादन

कर्मचारी भारत के कोयला खनन के केन्द्र बिन्दु हैं और सीआईएल में पीपल प्रोसेसेज में न केवल कंपनी के प्रचालन के वैल्यू चेन में बहुविध स्टेकधारकों की चिंताओं को शामिल किया जाता है अपितु उनको भी शामिल किया जाता है जो ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। बहुविध स्टेकधारकों में कंपनी के अपने कर्मचारी और उनके परिवार, कोलफील्डों के चारों ओर के ग्रामीण, सहायक उद्योगों, कोलफील्डों में प्रचालनरत सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों के लगभग 99,000 अप्रत्यक्ष कामगार आदि शामिल हैं। सीआईएल एक बड़ी सामाजिक उद्देश्य वाली कंपनी के हैं जो सभी स्टेकधारकों के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध है और अपने जनोन्मुखी सिद्धातों, नीतियों एवं कार्यक्रमों से स्थायी विकास हेतु स्टेकधारकों और कंपनी की भी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रही है। सारांश नीचे दिया गया है।

➢ प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से निर्णयों से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को लिया जा रहा है। सभी परियोजनाओं में आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों और कल्याण से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कार्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों को देखती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

➢ ठेका कामगार

कंपनी निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खदानों में लगभग 99000 ठेका कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेकेदार द्वारा ठेका कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। कोल इंडिया में ठेका कामगारों

के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है जो न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी ठेका कामगारों को निःशुल्क कंपनी की चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी ठेका कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और निजी बचाव संबंधी उपकरण भी दिए जाते हैं। कंपनी ने सभी ठेका कामगारों को सामाजिक सुरक्षा स्कीमों (सीएमपीएफ और सीएमपीएस) के अधीन लाने के वास्तविक प्रयास किए। ठेका कामगारों को मजदूरी का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचा सके।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं संशोधन) अधिनिमय, 1971 के अंतर्गत संविदा कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'संविदा श्रमिक भुगतान प्रबंधन पोर्टल' का सृजन किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न संविदाकारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस (बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या सहित) तैयार किया है तथा पोर्टल पर अपलोड किया है। यह पोर्टल सभी संविदाकारों के कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति तथा यदि आवश्यक हो तो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।

यह प्रणाली देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जिससे कि वे सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में संविदा कार्य, संविदाकारों के ब्यौरे, नियुक्त कामगारों की संख्या, मजदूरी भुगतान की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त कर सके।

➢ शिशु मजदूर/बलात मजदूर/बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेकधारकों द्वारा किसी भी रूप में शिशु मजदूरों, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले ठेका कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मानीटरिंग की जाती है।

➢ संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन, राजनैतिक दलों और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

भेदभाव न करना

कंपनी में कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं।

संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहलकदमियां

➢ 'आगमंत' परियोजना :

कंपनी में नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत करने के लिए इस परियोजना को सितम्बरए 2015 के माह से लागू किया गया है। पहलकदमी में बोर्ड स्तर के कार्यपालक द्वारा स्वागत करने, सीआईएल के अध्यक्ष की ओर से स्वागत पत्र दिया जाता है जिसमें स्वागत किट, प्रबंध कौशल, कंपनी के सभी नए सदस्यों का परिचय होता है। इस परियोजना के तहत नए सदस्यों का स्वागत इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आईआईसीएम), रांची किया जाता है उन्हें परिचय कार्यक्रम दिया जाता है।

➢ 'सम्मान' परियोजना :

सम्मान परियोजना को कंपनी में अपनी लंबी सेवा तथा योगदान के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्मान के लिए कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना के अधीन क्रियाकलापों में सीआईएल के अध्यक्ष की ओर से 'धन्यवाद पत्र', सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाईए सीमान्त बकायों का समाधान करना और सेवानिवृत्त के दिन स्मृति–चिन्ह देना शामिल है।

➢ कार्यपालकों का ई–सशक्तिकरण :

सीआईएल ने 01.04.2015 से प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार सभी कार्यपालकों को 70000 रुपये की लागत तक का लेपटाप अथवा इसी प्रकार के यंत्र प्रदान करने की एक योजना लागू की है। सीआईएल के डिजिटाईजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

सतत सुधार तथा जानकारी प्रबंधन पहलकदमियां

➢ कर्मचारी सुझाव योजना :

प्रचालनात्मक दक्षता तथा प्रक्रिया उत्कृष्टता के लिए कर्मचारियों के दृष्टिकोण के सोर्सिंग हेतु एक कर्मचारी सुझाव योजना तैयार की गई है। इस योजना के अधीन सुझावों को प्राप्त करनेए उनका मूल्यांकन करने और गुण–दोष के आधार पर उनको कार्यान्वित करने के लिए संगठनात्मक तंत्र तैयार किया गया है। कर्मचारियों से प्राप्त सभी सुझावों एवं विचारों का प्रचालन करने तथा उनकी व्यवस्था करने के लिए एक आन लाइन मंच पहले से ही सृजित किया गया है।

➢ इन–सर्किल (आईसी)

सर्किल कर्मचारियों तथा कनिष्ट कार्यपालकों (अधिकतम संख्या में 12) के छोटे समूह होते हैं जो एक कार्य स्थल पर एक साथ कार्य करते हैं, वे आवधिक रूप से बैठकें करते हैं, प्रचालनात्मक एवं प्रक्रिया संबंधी समस्याओं की पहचान करते हैं / गुणावगुण क्षेत्रों में सुधार करते हैं, समाधानों को नवीकृत करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं तथा इस प्रकार लगातार सुधारों को लाते हैं। इन–सर्किल गुणवता सर्किलों के फारमेट में पचालन करते हैं। इन–सर्किलों के एक समान कार्य करने के लिए एक मानक प्रचालन, व्यवहारों (एसओपी) को भी विकसित किया गया है। इस पहलकदमी को गति प्रदान करने के लिए गुणवता सर्किल के औजार एवं तकनीकियों के संबंध में प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। सभी सहायक कंपनियों में नोडल अधिकारियों के लिए एक प्रारंभिक का प्रशिक्षण कार्यक्रम 16.10.2015 तथा 17.10.2015 को पहले ही आयोजित कर दिया गया है। सहायक कंपनियां कार्यस्थल पर इन–सर्किलों का गठन करने की प्रक्रिया में हैं। इन–सर्किलों के पंजीकरण करने तथा उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑन–लाइन सुविधा सृजित की गई है।

➢ नालेज माइनिंग समुदाय (केएम समुदाय)

जानकारी को शेयर करने के लिए एक मंच के रूप में नालेज माइनिंग समुदायों (केएम समुदाय) को प्रोत्साहित किया गया है ताकि अनुभवी कार्यपालकों में निहित जानकारी को कंपनी के युवा कार्यपालकों को अंतरित किया जाए और प्रक्रिया में नयी जानकारी एवं विचारों को सृजित किया जाए।

समुदायों के पंजीकरण तथा चर्चाओं को सुकर बनाने एवं उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑन–लाइन मंच सृजित किया गया है। शेयरिंग प्रक्रिया के दौरान सृजित जानकारी को सभी के लाभ के लिए कंपनी के नालेज मैनेजमेंट पोर्टल में प्रकाशित किया जाएगा।

सीआईएल के नालेज मैनेजमेंट पोर्टल में सीएमपीडीआईएल तथा अन्य परियोजनाओं के संसाधनों से एक ऑन–लाइन पुस्तकालय सृजित किया गया है। पुस्तकालय को सभी के लाभ के लिए नियमित रूप से समृद्ध किया जाएगा।

➢ 'प्रवाह' परियोजना

सीआईएल ने संगठनात्मक संस्कृति तथा जन विकास प्रक्रिया में सुधार करने के लिए नए पदभार ग्रहण करने वाले कार्यपालकों के विचारों के सोर्स के लिए 'प्रवाह' नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अधीन कार्यात्मक क्षेत्रों से कार्यपालकों के 6 दल गठित किए गए हैं जिनकी सहायता मध्यम स्तर के प्रबंधन कार्यपालक करते हैं। दलों की नियमित रूप से बैठकें होती हैं और विभिन्न व्यवसाय प्रक्रियाओं पर विचार–विमर्श होता है तथा सुधार के लिए प्राप्त विचारों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय निम्नलिखित समूह प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं:

i) संगठनात्मक संस्कृति दल,

ii) नालेज मैनेजमेंट दल,

iii) कर्मचारियों की देखभाल तथा कर्मचारी परामर्शदाता दल

iv) सतत सुधार दल,

v) समारोह दल,

vi) संचार दल।

कार्यनिष्पादन प्रबंधन पहलें

➢ बोर्ड स्तर के कार्यपालकों तथा महाप्रबंधकों के लिए ऑन–लाइन कार्यनिष्पादन प्रबंध प्रणाली (पीएमएस)

बोर्ड स्तर के कार्यपालकों तथा महाप्रबंधकों के लिए एक

वार्षिक कार्य–निष्पादन प्रबंध प्रणाली को ऑन–लाइन प्रपत्र कार्य–निष्पादन अनुमोदन रिपोर्ट (पीएआर) में बनाया गया है।

मुख्य विशेषताओं में कासकोडिंग प्रक्रिया के माध्यम से शुरू में लक्ष्य निर्धारित करनाए वर्ष के मध्य में फीडबैक प्रक्रिया और वर्ष के अन्त में मूल्यांकन करना शामिल है। सीआईएल ने ई 7 ग्रेड तक के सभी कार्यपालकों के लिए ऑन.लाइन कार्यपालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पीएमएस कार्य–निष्पादन रिपोर्ट (पीआरआईडीई) कार्यान्वित कर दी है। ई 8 तथा बोर्ड स्तर के निदेशकों के लिए ऑन–लाइन पीएमएस लागू करने के साथ सीआईएल के अध्यक्ष से लेकर ई 1 स्तर के सभी कार्यपालकों को अब ऑन–लाइन पीएमएस के अधीन शामिल किया गया है।

जन विकास पहलें

➢ सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता

सीआईएल ने अपने 3.6 लाख कर्मचारियों तथा उनकी पति/पत्नी को सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा को शामिल किया है। कुछ शर्तों के अधीन इस स्कीम के अंतर्गत इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए सामान्य मामलों में 5 लाख रुपए तथा हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा पक्षाघात जैसी नाजुक बिमारियों के मामलों में संवर्धित सहायता करने के लिए 25 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा के मामले में चिकित्सा खर्चों के पुनर्भुगतान की व्यवस्था है।

➢ सामाजिक सुरक्षा

सभी कर्मचारी कंपनी की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत आते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- **उपदान:** सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को 10 लाख रुपए तक के उपदान का भुगतान किया जाता है।
- **सीएमपीएफ:** सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया गया है जो अंशदायी निधि है। जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।
- **कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस):** कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25: राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनकी पति/पत्नी तथा बच्चे पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
- **कर्मचारी मुआवजा:** ड्यूटी के दौरान मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में वे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। उसके अलावा, कम्पनी अनुग्रह राशि के रूप में 5 लाख रुपए तथा 84600 रुपए का अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करती है।
- **सीपीआरएमएस:** सभी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा योजना के तहत शामिल होते हैं।
- **जीवन बीमा योजना:** सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 112800.00 रुपए की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।
- **आश्रित सदस्य को रोजगार:** किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने/विकलांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में स्थायी नौकरी पाने का हकदार है।

➢ शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकधारकों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, ग्राहकों तथा अन्य स्टेकधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए एक मजबूत आन लाइन स्टेकधारक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों को 10 दिनों के भीतर निपटाया जा रहा है तथा स्टेकधारकों को तदुनसार सूचित किया जाता है।

सीआईएल की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

कोल इंडिया की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति पहली बार 1994 में तैयार की गई थी और इसे समय–समय पर संशोधनों के साथ लागू किया गया है। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति वर्ष 2000 से लागू है, जिसे बाद में वर्ष 2004 तथा 2008 में संशोधित किया गया है। सीआईएल की संशोधित पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास नीति 2012 में भू–वंचितों के लिए कई विकल्पों की व्यवस्था है। यह तेजी से भूमि के अधिग्रहण के लिए अद्वितीय पुनर्स्थापन तथा

पुनर्वास की समस्याओं को पूरा करने के लिए सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिक उदारता प्रदान करती है।

इस आर एंड आर नीति (2012) की कुछ प्रचालनात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भू–वंचितों को संबंधित अधिनियम अथवा राज्य सरकार की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाता है।
- प्रत्येक 2 एकड़ की जमीन के बदले भू–वंचितों को रोजगार दिया जाता है। सभी भू–वंचित जो रोजगार के पात्र नहीं हैं, वे रोजगार के बदले यथा अनुपात आधार पर प्रत्येक एक एकड़ भूमि के लिए 5 लाख रुपए का मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने के पात्र हैं।
- वैकल्पिक आवास स्थल के बदले 3 लाख रुपए की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। वर्कशेड आदि के निर्माण के लिए भी मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है।
- प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1 वर्ष के लिए प्रत्येक माह 25 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी की दर से निर्वहन भत्ता दिया जाता है।
- कोयला कंपनियां परियोजना से प्रभावित लोगों को गैर–कृषि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। ठेकेदारों को वरीयता के आधार पर पात्र लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- जहां तक संभव होए कोयला कंपनियां जनजातीय समुदाय को 1 इकाई के रूप में स्थानांतरित करती हैं और जनजातीय समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं, इस प्रकार उन्हें अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने में मदद करती हैं।
- प्रभावित जनजातीय परिवारों को पारंपरिक अधिकार खोने के एवज में 500 दिनों की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है।
- जिले से बाहर विस्थापित प्रभावित जनजातीय परिवारों को 25: अधिक पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास स्थलए एक स्कूल, सड़क जिसमें रोशनी की व्यवस्था हो, पक्की नाली, तालाब, पेय जल की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल, सामुदायिक केंद्र, पूजा स्थल, औषधालय, पशुओं के चरने के लिए चरागाह तथा खेल के मैदान की व्यवस्था की जाती है।
- पुनर्वास कालोनियां जिनमें परियोजना प्रभावित परिवार तथा मेजबान आबादी भी शामिल है, के सभी निवासियों के लिए सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
- सामुदायिक सुविधाओं के प्रचालन के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इनमें राज्य तथा स्थानीय स्वशासन/पंचायत को शामिल करने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। सामुदायिक सुविधाओं तथा उनके निर्माण की योजना प्रभावित समुदाय के परामर्श से की जाती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उचित मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास में पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 अधिसूचित किया है जो 1 जनवरी, 1994 को प्रवृत्त हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 28 अगस्त, 2015 के आदेश के अनुसार प्रथम अनुसूची के अनुसार मुआवजे के निर्धारण, द्वितीय अनुसूची के अनुसार पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास और तृतीय अनुसूची के अनुसार अवसंरचनात्मक सुविधाएं जो सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के लिए लागू होगी, आरएफसीटीएलएआरआर, अधिनियम, 2013 के प्रावधान 1 सितम्बर, 2015 से लागू होंगे। कोयला मंत्रालय ने सीआईएल को आरएफसीटीएलएआरआर के प्रावधानों के अनुसार आर एंड आर नीति को संशोधित करने का निदेश दिया है। आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013 के उपबंधों को शामिल करने हेतु सीआईएल की आर एंड आर नीति संशोधित की जा रही है। सीएमडी, डब्ल्यूसीएल की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा सीआईएल की संशोधित आर एंड आर नीति का मसौदा तैयार किया गया है तथा विचाराधीन है।

पर्यावरण की देखभाल

कोयला खनन से होने वाला एक प्रभाव भूमि तथा पर्यावरण का विकृत होना है। कोयला कंपनियां निरंतर पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों पर इन खनन कार्यकलापों से होने वाले प्रभावों का निदान करती हैं। सभी खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है। पर्यावरणीय

उपशमन उपायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कोयला कंपनियों ने अत्याधुनिक सेटेलाइट निगरानी की व्यवस्था शुरू की है ताकि सभी ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए भूमि के पुनरुद्धार की निगरानी की जा सके। कोल इंडिया लिमिटेड ने सुनियोजित पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं तथा चिरस्थायी विकास कार्यकलापों के माध्यम से 36,896 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया है। 'स्वच्छ एवं हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सीआईएल द्वारा जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध होती है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 31 मार्च, 2016 तक 92 मिलियन वृक्षारोपण किया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को अप्रैल 2011 से 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लि. की खनन क्षमता 30.6 एमटीपीए है तथा नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 4293.5 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त है।

➢ प्राधिकृत पूंजी

एन एल सी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत पूंजी 1677.71 करोड़ रु है। 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया है निवेश निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा:	1509.94
भारत सरकार से ऋण (प्राप्त ब्याज सहित)	शून्य

➢ उत्पादन कार्य–निष्पादन (एनएलसी):

वर्ष 2016–17 के दौरान दिसम्बर, 2016 के अंत तक ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और निर्यात तथा जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए अनंतिम आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पादन	यूनिट	अ.ब. 2016–17	लक्ष्य अप्रैल–दिसंबर 2016)	वास्तविक अप्रैल–दिसंबर 2016)	जनवरी 2017 से मार्च 2017 (अनंतिम)
ओवरबर्डन	एम एम^3	161.00	118.07	149.29	11.71
लिग्नाइट	एम टी	26.80	17.51	18.00	8.80
विद्युत सकल	एम यू	21567.76	15537.22	15333.75	6234.01
विद्युत निर्यात	एम यू	18329.69	13191.49	12880.80	5448.89

➢ उत्पादकता :

2015–16 और 2016–17 (अप्रैल–दिसंबर, 2016) में उत्पादकता कार्य–निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है।

ओएमएस द्वारा	यूनिट	2015–16 वास्तविक	लक्ष्य 2016–17 (अप्रैल–दिसंबर, 16)	वास्तविक 2016–17 (अप्रैल–दिसंबर, 16)
खानें	टन	13.08	10.03	11.74
तापीय	कि.वा.घंटे	22889	18510	23496

➢ संयंत्र भार कारक (पीएलएफ)

2015–16 तथा 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक) के दौरान टीपीएस–I, टीपीएस–I विस्तार, टीपीएस–II और बरसिंगसर टीपीएस द्वारा प्राप्त पीएलएफ निम्नानुसार है:–

पीएलएफ की प्राप्ति	2015-16	2016–17 (अप्रैल 16 से दिसंबर, 2016 तक)	
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
टी.पी.एस–I	59.98	68.28	68.15
टी.पी.एस–Iई	88.59	76.70	88.69
टी.पी.एस-II	81.96	71.79	83.73
टीपीएस–IIई	19.39	71.55	29.64

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार का एक राज्य स्तरीय उद्यम है जिसमें तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार की इक्विटी पूंजी क्रमशः 51:49 है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान 9.6% है।

➢ कोयला उत्पादन :

वर्ष 2016.17 के लिए उत्पादन लक्ष्य 58.00 मि.ट. है। दिसम्बर, 2016 तक हासिल उत्पादन 42.43 मि.ट. है।

(मिलियन टन में)

लक्ष्य 2016–17	लक्ष्य 2016–17 (अप्रैल–दिसंबर 2016)	वास्तविक 2016–17 (अप्रैल–दिसंबर 2016)
58.00	41.89 मि.ट.	42.43 मि.ट.

➢ उत्पादकता (ओएमएस) :

वर्ष 2016–17 के लिए उत्पादकता लक्ष्य 4.75 टन एवं दिसम्बर, 2016 तक हासिल उत्पादकता 4.43 टन है।

(मिलियन टन में)

लक्ष्य 2016–17	लक्ष्य (अप्रैल–दिसंबर 2016)	वास्तविक (अप्रैल–दिसंबर 2016)
4.93	4.75	4.43

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य खनन कार्यकलाप असम के माकूम कोल फील्ड में है। वर्तमान में 4 खानें प्रचालन में हैं। ये तीरप, तिकाक, लेडो (ओसीपी) तथा तिपोंग हैं। इनमें से तीरप, तिकाक, लेडो ओपनकास्ट खानें/परियोजनाएं हैं जबकि तिपोंग भूमिगत खान है।

पूर्वोत्तर कोलफील्डों में ओपन कास्ट खानों में 5 (पांच) प्रमुख आउटसोर्सिंग पैचेज हैं। ये हैं तिराप (ईस्ट), तिराप (वेस्ट), तिकाक (ईस्ट), तिकाक (ओसीएम) एंव लीडो (ओसीपी) एनईसी की ओपनकास्ट खान से कोयले का उत्पादन आउटसोर्सड होता है। लेडो (ओसीपी) वित्त वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। पिछले 4(चार) वर्षों के कोयला उत्पादन को निम्नलिखित तालिका–1 में दर्शाया गया है। निविदा प्रक्रिया में देरी, नए ठेके को अंतिम रूप न देने और ओपनकास्ट खानों में खान अधिनियम की धारा 22(3) को लागू करने से उत्पादन में वित्त वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि के दौरान 6.05 लाख टन, 6.63 लाख टन, 7.79 लाख टन तथा 4.86 लाख टन की कमी आयी है।

तालिका–I

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 अं.
एनईसी का कोयला उत्पादन	6.05	6.63	7.79	4.86	6.50

वर्ष 2016–17 में 6.50 लाख टन उपलब्धि की आशा है। वर्ष 2016–17 के दौरान 5 (पांच) पैचों में से मात्र 3 (तीन) पैचों में ही अप्रैल, 2016 एवं मई, 2016 के महीने में कोयले का उत्पादन हुआ था।

जून, 2016 से अगस्त, 2016 तक केवल 1 (एक) पैच में ही कोयले का उत्पादन हुआ है; सितंबर, 2016 से अक्तूबर, 2016 तक 2 (दो) पैचों में कोयले का उत्पादन हुआ है तथा नवंबर, 2016 के महीने में 3 (तीन) पैचों में कोयले का उत्पादन किया गया है। दिसंबर, 2016 के महीने के दौरान पूर्वोत्तर कोलफील्डों में 4 (चार) पैचों में कोयले का उत्पादन किया गया था। ऐसा आउटसोर्सिंग संविदा को अंतिम रूप न देने के कारण था। अभी तक केवल 1 (एक) ओपन कास्ट पैच के लिए निविदा को अंतिम रूप देना बाकी है। निविदा पहले ही खुल गई है तथा निविदा समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। धारा 22 (3) लागू होने से भी एनईसी के तिराप और तिकाक ओपन कास्ट खानों में कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ था।

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.04.2016 से 31.12.2016 तक)

तालिका-II

(वास्तविक डाटा)

1.	कोयला उत्पादन	इकाई	मात्रा
	I) भूमिगत	लाख टन	0.021
	II) ओपन कास्ट	"	2.525
	कुल	"	2.546
2.	ओ.एम.एस		
	I) भूमिगत	टन	0.010
	II) ओपन कास्ट	"	2.050
	समग्र	"	1.060
3.	कोयला प्रेषण/उठान		
	प्रेषण	लाख टन	5.632
	घरेलू खपत	"	–
	उठान	"	5.632
4.	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार पिट हेड कोयला भण्डारण	"	0.508
5.	खानों की संख्या	कार्यरत	04

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि)–अनंतिम

(अनंतिम आंकड़े)

1.	कोयला उत्पादन	इकाई	मात्रा
	भूमिगत	लाख टन	0.009
	ओपन कास्ट	"	3.945
	कुल	"	3.954
2.	ओ.एम.एस		
	भूमिगत	लाख टन	0.035
	ओपन कास्ट	"	9.476
	समग्र	"	5.720
3.	कोयला प्रेषण/उठान		
	प्रेषण	लाख टन	2.868
	घरेलू खपत	"	–
	उठान	"	2.8638
4.	31.12.2016 की स्थिति के अनुसार पिट हेड कोयला भण्डारण	"	1.594
5.	खानों की संख्या	कार्यरत	04

एनईसी का वित्तीय कार्य निष्पादन (01.04.2016 से 31.03.2017) की अवधि

(अनुमानित आंकड़े)

1.	कोयला उत्पादन	इकाई	मात्रा
	भूमिगत	लाख टन	0.030
	ओपन कास्ट	"	6.470
	कुल	"	6.500
2ण	ओ.एम.एस		
	भूमिगत	टन	0.021
	ओपन कास्ट	"	3.919
	समग्र	"	2.106

3.	कोयला प्रेषण/उठान		
	प्रेषण	लाख टन	8.500
	घरेलू खपत	"	-
	उठान	"	8.500
4.	**31.12.2017 की स्थिति के अनुसार पिट हेड कोयला भण्डारण**	"	**1.594**
5.	खानों की संख्या	कार्यरत	04

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनईसी का कार्य निष्पादन

यद्यपि विगत में कुछ वर्षों तक एनईसी घाटे में रही है। वर्ष 2005–06 से इसने समग्र लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है तथापि, यूजी कोलियरियां अभी भी घाटे में हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए लाभप्रदता नीचे तालिका में दी गई है:–

तालिका

(लाख रु. में)

खान	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
तिपोंग (यूजी)	(-)5872.69	(-)6011.03	(-)5279.12	(-)6698.94	(-)6473.28
लेडो (यूजी)	(-)2191.70	(-)1688.24	(-)1464.79	(-)1446.81	-
बरगोलाई (यूजी)	(-)3201.22	(-)3493.09	(-)2934.05	(-)3033.63	(-)2819.03
जयपोर (यूजी)	(-) 91.44	(-) 110.73	(-) 122.02	(-)100.68	(-)140.32
तिरप (ओसी)	(+)11070.77	(+)6423.05	(+)10718.88	(+)10282.01	(-)131.73
तिकाक (ओसी)	(+)15149.79	(+)5947.83	(+) 1.78	(+)5075.65	(+)1443.27
लेडो ओसीपी	(+) 6343.88	(+)4831.36	(+)2306.24	(-)1160.10	(+)2149.18
सर्विस यूनिट	-	(+)674.09	(+) 31.20	-	-
कुल एनईसी	(+)21207.39	(+)6573.23	(+)3258.12	(+)2917.51	(-)5971.91

एनईसी का उत्पादन कार्यक्रम

एनईसी में वर्तमान में कुल 4 (चार) कार्यशील खानें हैं। चार खानों में से तीन ओपन कास्ट तथा एक भूमिगत खान है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 6.50 लाख टन कोयले का उत्पादन होने की आशा है।

एनईसी ने 6 (छ) नई परियोजनाओं की पहचान की है जो एमओईएफ तथा अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्तियां प्राप्त न होने के कारण निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।